रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2015/वैशाख 4,1937
No. 259] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2015/VAISAKHA 4, 1937

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 320 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, सहायक निदेशक, ग्रेड -I समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय में सहायक निदेशक ग्रेड -I (गैर तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, सहायक निदेशक, ग्रेड-I (गैर तकनीकी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे ,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं , आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक ग्रेड-I (गैर -तकनीकी)	*2 (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), राष्ट्रीय प्रशिक्षण और सामाजिक अनुसंधान परिषद (एनसीटीएसआर) या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्थापना और प्रशासन में 2-4 सप्ताह के प्रशिक्षण सहित वेतन ग्रेड -2 में 9300-34800 रुपये + 4600 ग्रेड वेतन सहित तीन वर्ष नियमित सेवा वाला सहायक निदेशक, ग्रेड -II **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केन्द्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ; या (iii) जो मूल काडर का विभाग में वेतन बैंड-2 में 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 रुपये या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) (i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष ; 2. विकास आयुक्त (हथकरघा) -सदस्य ; 3 अपर या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) -सदस्य ।	प्रत्येक अवसर पर पद के लिए नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

स्वायत्त संगठनों में प्रशासन या निर्यात या सहकारिता या हथकरघा और वस्त्र या ग्राम और लघु उद्योगों से संबंधित कार्य का तीन वर्ष का अनुभव और स्नातक की डिग्री रखते हों। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. 12018/2/2012-डीसीएचएल/स्था.-I]

समीर कुमार विश्वास, विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

[OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS]

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2015

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Assistant Director, Grade-I Group 'Á' post, Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant

Director Grade-I (Non-Technical) in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, namely :—

1. Short title and commencement. - (1)These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Assistant Director Grade-I (Non-Technical), Group-'A' Post, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director Grade-I (Non-Technical).	* 2 (2015)*–Subject to variation dependent on workload.s	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	2 years for promotees.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Assistant Director Grade-II with three years regular service in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 with 2-4 weeks training in establishment and administration from the Institute of Secretariat	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission –Chairman;	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occassion.

Training and Management (ISTM), National Council for Training and Social Research (NCTSR) or any other recognised Institute. **Note-1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note-2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government of Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations, - (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in the grade in pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years regular service in the grade in pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b)(i) possessing Bachelor's degree and three years' experience in the work relating to administration or export or cooperation or handlooms and textiles or village and small scales industries in the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institution or Public Sector Undertaking or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations. **Note-1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2:** The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding to this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications. **Note-4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer	2. Development Commissioner for Handlooms –Member; 3. Additional or Joint Development Commissioner (Handlooms) –Member.	

prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 12018/2/2012-DCHL/Estt.-I]

S. K. BISWAS, Development Commissioner for Handlooms

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.